12.3.22	पत्रावली प्रार्थीगणों के अधिवक्ता के पेश हुई। वादीगण उप। रिपोर्ट पटवारी एवं पैमाइश पैमाइश की रिपोर्ट व पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई का बाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जावा।	वादी की ओर से जांच योग्य है TDR सिवाय स्वरूपमल
	पत्रावली पूर्ण प्रकार की जाकर बाद नकमील [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by: Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 112/2021

तारीख दायरा:— 15.09.2021

उनवान

सूरजमल पुत्र श्री गोपीलाल जाति खारवाल निवासी ग्राम रामपुर झोंपडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. धर्मराज पुत्र श्री सूरजमल जाति खारवाल निवासी ग्राम रामपुर की झोंपडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णय:—

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 1007 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1008 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नंबर 1009 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1010 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1011 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नंबर 1014 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1015 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5.99 हैक्टर आराजी वाके ग्राम मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज रहा है। वादी व प्रतिवादी कं. 1 के मध्य पिता–पुत्र का सम्बन्ध है तथा वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित 5.99 हैक्टर आराजी में निहित स्वयं के 1/5 हिस्से का 5/36 हिस्सा जो करीबन एक बीघा बनता है, के संबंध में वादी ने एक दानपत्र दिनांक 10.07.2020 को तहरीर कर दिया था जिसे वादी द्वारा कार्यालय उप–पंजीयक सांगोद से दिनांक 13.07.2020 कम संख्या 202003303100720 पर पंजीबद्ध करवा लिया था। चूंकि वादी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/5 निहित है जिसका 5/36वॉं हिस्सा वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 को उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र से दान किया था जिसकी पुष्टि दानपत्र के समय जनरेट की गई प्रोपर्टी वेल्यूएशन रिपोर्ट से भी होती है जिसमें एक बीघा भूमि का ही दान किया जाना अंकित है। वक्त तहरीर पंजीयन दानपत्र में वादग्रस्त आराजी में से वादी के हिस्सा 1/5 का 5/36वॉं हिस्सा का दान करना तो सही अंकित हुआ किन्तु कुल आराजी का हिस्सा जो कि 5/180 हिस्सा बनता है जिसके बजाय सहवन से टाईपिंग मिस्टेक के कारण 25/180 हिस्सा अंकित हो गया जिसके कारण पटवारी हल्का द्वारा दानपत्र के अनुसरण में खोले गये इन्तकाल से 5/36 आराजी प्रतिवादी कं. 1 के नाम अंकित कर दी जो कि करीबन एक बीघा बनती है जबकि वादी द्वारा तो प्रतिवादी कं. 1 को मात्र एक बीघा भूमि का हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 1/36 हिस्सा ही दान किया था व शेष आराजी 31/180 हिस्सा स्वयं के परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भरणपोषण हेतु बचा के रखी थी। उक्त त्रुटि का इल्म होने के बाद वादी द्वारा गतमाह प्रतिवादी कं. 1 से उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने को कहा तो प्रतिवादी कं. 1 ने दुरूस्ती में सहयोग करने से इन्कार कर दिया व स्वयं के नाम अधिक हिस्सा दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी कं. 1 सफल हो जाता है तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में यह वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार वादकारण गतमाह उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम मकडावद तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 1007 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1008 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नंबर 1009 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1010 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1011 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नंबर 1014 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1015 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5.99 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सों को दुरूस्त किया जाकर वादी को 31/180 हिस्सा का एवं प्रतिवादी कं. 1 को 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी में निहित वादी के 31/180 हिस्सा आराजी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में प्रतिवा[illegible] स्वयं के नाम त्रुटिपूर्वक अंकित गलत हिस्से के आधार पर किसी प्रकार [illegible] रहन, बेचान, दान, अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें। उक्त कृत्य न [illegible] प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें, न ही अपने नोकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तलबी प्रतिवादी कं. 1 के अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रिपोर्ट पटवारी अनुसार वादी द्वारा माल ग्राम मकडावद तहसील सांगोद 5.99 हैक्टर आराजी में से वादी द्वारा अपने हिस्से में से 1 बीघा आराजी का दानपत्र प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया गया था जिसके दानपत्र में स्टाम्प ड्यूटि भी एक बीघा की ही अदा की गई है व मौके पर कब्जा एक बीघा भूमि पर ही प्रतिवादी कं.1 का कब्जाकाश्त है किन्तु दानपत्र में सहवन से त्रुटिपूर्ण हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादी कं. 1 के अधिक भूमि खाते दर्ज हो गई है जबकि वादी के नाम हिस्सा 31/180 व प्रतिवादी के नाम हिस्सा 1/36 अंकित किया जाना उचित होगा। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर वाद वादी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर माल ग्राम मकडावद तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 1007 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1008 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नंबर 1009 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1010 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1011 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नंबर 1014 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1015 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता 7 [illegible] हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी कं. 1 के नाम [illegible] या जाकर वादी को 31/180 हिस्से का एवं प्रतिवादी कं. 1 को 1/36 [illegible]का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested